छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011
(पौष-1, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04, 07, 09 से 14 एवं 16 से 18 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 05, 06, 08 एवं 15 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री नदंकुमार पटेल, दूजराम बौद्ध, अमरजीत भगत एवं डॉ.शिवकुमार डहरिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 30 तारांकित एवं 51 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2011-2012 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा

(2) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2010-2011(दिनांक 1.7.2010 से 30.6.2011)

पटल पर रखे।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कबीरधाम के ग्राम पंचायत खम्हरिया एवं लोखान में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश में गांजा की तस्करी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267 क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री परेश बागबाहरा
(2) श्री सौरभ सिंह
(3) श्री मोहम्मद अकबर
(4) श्री गुरुमुख सिंह होरा
(5) श्री रामपुकार सिंह
(6) श्री शिवराज सिंह उसारे
(7) डॉ.शिवकुमार डहरिया
(8) श्री दूजराम बौद्ध

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री राजूसिंह ठाकुर, सभापति ने याचिका समिति का चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(3) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन, प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 01)	डॉ.हरिदास भारद्वाज	30 मिनट
2. (क्रमांक - 08)	श्री राजकमल सिंघानिया	30 मिनट
3. (क्रमांक - 02)	डॉ.हरिदास भारद्वाज	45 मिनट
4. (क्रमांक - 04, 06)	श्री रामदेव राम श्री जगेश्वर राम भगत	45 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रीक्स

(2) श्रीमती लक्ष्मी बघेल

(3) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

(4) श्री राजकमल सिंघानिया

(5) श्री नंदकुमार साहू

(6) श्री ह्दयराम राठिया

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री परेश बागबाहरा, दीपक कुमार पटेल, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, धर्मजीत सिंह।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री फूलचंद सिंह।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) पारित किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री परेश बागबाहरा, डॉ.सुभाऊ कश्यप (जारी)

(1.30 से 3.11 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्री दीपक कुमार पटेल।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री फूलचंद सिंह, महंत रामसुंदर दास, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री विरेन्द्र कुमार साहू।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011)

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री बोधराम कंवर, विरेन्द्र कुमार साहू, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामजी भारती, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री लखमा कवासी,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक (6) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, शिवराज सिंह उसारे, फूलचंद सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री परेश बागबाहरा, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, श्री ह्दयराम राठिया,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

"खंड-2 में 'अनुसूचित जाति के समक्ष अंकित 12 प्रतिशत' के स्थान पर '16 प्रतिशत' तथा 'अन्य पिछड़े वर्ग के समक्ष अंकित 14 प्रतिशत' के स्थान पर '27 प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाय।" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(6) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011)

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 7.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 23 दिसम्बर, 2011 (पौष 2, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा